संख्या-48/2017/1466/22-2-2016-17(167)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलुवा पुत्र श्री सईद, निवासी जनपद-हापुड की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30537/प्रोबेशन-3/(एम-20-01-2016) दिनांक-10-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलुवा पुत्र श्री सईद, निवासी-अनुपुर डिबाई, थाना-सिम्भावली, जनपद-हापुड का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य लम्बे समय से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.07.1973 को प्रात: लगभग 06:30 बजे लाठी, बल्लम एवं बन्दूक से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या की एवं 03 बच्चों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-430/1973 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा- 302के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा दिनांक 09-04-1974 को दोषमुक्त किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-1607/1974 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.1980 द्वारा भा0द0वि0 की धारा- 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.12.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 00 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 01 सहअभियुक्त कारागार से रिहा हो चुका, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि दोनों पक्षों के मध्य लम्बे समय से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.07.1973 को प्रात: लगभग 06:30 बजे लाठी, बल्लम एवं बन्दूक से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या की एवं 03 बच्चों को गम्भीर रूप से घायल किया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कलुवा पुत्र श्री सईद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कलुवा (बन्दी संख्या-5875) पुत्र श्री सईद निवासी जनपद-हापुड के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2017/1466(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-48/2017/1466/22-2-2016-17(167)/2016

दिनांक 19 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलुवा पुत्र श्री सईद, निवासी-अनुपुर डिबाई, थाना-सिम्भावली, जनपद-हापुड का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य लम्बे समय से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.07.1973 को प्रात: लगभग 06:30 बजे लाठी, बल्लम एवं बन्दूक से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या की एवं 03 बच्चों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-430/1973 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा- 302के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा दिनांक 09-04-1974 को दोषमुक्त् किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-1607/1974 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.1980 द्वारा भा0द0वि0 की धारा- 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.12.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 00 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 01 सहअभियुक्त कारागार से रिहा हो चुका, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि दोनों पक्षों के मध्य लम्बे समय से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.07.1973 को प्रात: लगभग 06:30 बजे लाठी, बल्लम एवं बन्दूक से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या की एवं 03 बच्चों को गम्भीर रूप से घायल किया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कलुवा पुत्र श्री सईद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in